

2018/00274

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आप के द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

खर्जीत विद्वां पुरजीत विद्वां

बनाम

वर्काम

किस्म मुकदमा

दुरुस्ती

मुकदमा नं.

102
1-618

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-618	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/१५२ दिनांक 1-618 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत (सगरावा) में प्रार्थीगण के नाम चक २०१३ की जमाबन्दी सम्वत् २०१३-१४ के खाता नं. 68-70 में खातेदार खर्जीत विद्वां पुरजीत विद्वां के अंकित है। जिसका नाम शुरजीत विद्वां है। जिसकी खर्जीत विद्वां पुरजीत विद्वां की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 1-618 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक २०१३ के खाता नं. 68-70 में दर्ज खातेदार खर्जीत विद्वां पुरजीत विद्वां के नाम पर खर्जीत विद्वां पुरजीत विद्वां की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उपरजिला कलेक्टर
रायसिंहनगर-2018
कैम्प कोर्ट सगरावा
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर